

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशाल उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या 1207/खनन-व0वि0नि0/आशयपत्र/भू0खनि0ई0/2019-20

दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

कार्यालय झांप
आशय पत्र (Letter of Intent)

उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टडर) घुगान नीति 2016 के बिन्दु-08 "निगमों हेतु राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में घुगान की प्रक्रिया" तथा बिन्दु-21 "घुगान पट्टा/अनुज्ञा हेतु पर्यावरणीय अनुमति हेतु आशय पत्र (Letter of Intent)" के उपबिन्दु (1) में वन क्षेत्र में उत्तराखण्ड वन विकास निगम लि0 को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-11 में आवेदन करने के उपरान्त 05 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृति किये जाने के किये गये प्रावधान के दृष्टिगत वन क्षेत्र के वन नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिजों के घुगान का खनन पट्टा चाहने हेतु प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम लि0 के पत्र संख्या उ-5636/उपखनिज/आशयपत्र (4) दिनांक 26.12.2019 एवं पत्र संख्या 5762/उपखनिज/आशय पत्र (4) दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में इस इस आशय पत्र (Letter of Intent) के माध्यम से राज्य सरकार आवेदक प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम लि0 के पक्ष में उनके द्वारा जनपद नैनीताल के 04 एवं देहरादून के 01 आवेदित उपखनिज लॉटों जिनका विवरण तालिका-1 में निम्नवत उल्लिखित है को 05 वर्ष (पांच वर्ष) की अवधि हेतु उपखनिज घुगान हेतु खनन पट्टे पर स्वीकृत करने की मंशा रखती है:-

क्र0सं0	जनपद	आवेदित उपखनिज क्षेत्र का नाम	वन प्रभाग एवं कक्ष संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	मात्रा (टन में)
1	नैनीताल	कोशी-दाबका भाग-2,	तराई	150	253000
2		बौर,	पश्चिमी वन	70	115500
3		भाखड़ा,	प्रभाग,	60	99000
4		निहाल,	रामनगर	100	165000
5	देहरादून	चन्द्रभागा,	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग	190	3135000

आवेदक प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम लि0 द्वारा उपरोक्त तालिका में उल्लिखित लॉटों में उपखनिज घुगान का खनन पट्टा लेने हेतु सहमति की दशा में नीति के बिन्दु-22 के क्रम में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 34 के अनुसार खनन योजना तैयार कराकर निर्धारित शुल्क जमा करते हुए अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करना तथा शासनादेश संख्या 922/VII-1/11 रिट/2012 दिनांक 26 जुलाई 2012 में दिये गये निर्देशानुसार EIA Notification 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति एवं फॉरेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त कर, प्राप्त स्वीकृतियों की प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि नियमानुसार खनन पट्टा स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक

संख्या /खनन-व0वि0नि0/आशयपत्र/भू0खनि0ई0/2019-20 तददिनांकित।
प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल एवं जिलाधिकारी देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम लि0।
4. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल एवं जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्ररनगत खनन क्षेत्रों को जनपद की जिला सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 30 अक्टूबर, 2019

विषय: उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित आरक्षित वन क्षेत्र की नदी तल उपखनिज क्षेत्रों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-903/खनन/भूखनि०ई०/2019-20, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 के सन्दर्भ में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जनपद देहरादून के अन्तर्गत उपखनिज लॉट नरोखाला, कोटमोट, रामगढ़ रौ में उपखनिज चुगान हेतु स्वीकृत आशय पत्र (Letter of Intent) का समय विस्तार किये जाने, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत उपखनिज लॉट सुखरो, जनपद नैनीताल के अन्तर्गत लोअर कोसी, दाबका नदी-2, जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत उपखनिज लॉट दाबका नदी-3 का संयुक्त कराये जाने एवं जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपखनिज लॉट पनार-सरयू का पुनः संयुक्त निरीक्षण कराये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2. उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जनपद टिहरी के अन्तर्गत उपखनिज लॉट क्रमशः रावरास्त्रोत, दयागाढ़, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत उपखनिज लॉट कोल्हू/कोठरी का समर्पण स्वीकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव

संख्या-2262 (1)/VII-1/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा/टिहरी गढ़वाल।
3. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त शिपिंग कार्यालय देहरादून
क्र. 10288 दिनांक 06/11/19

अधि.	विधि	ई.पी.एफ.	नियोजन
लेखा	निविद	आर.टी.आई.	विपणन
ऑडिट	मण्डार	भवन प्रमारी	खनन
पी.एस.			

महत्वपूर्ण

प्र.प्र. (वन)

68.11.2019.

आज्ञा से,
(अर्पण कुमार राजू)
अनु सचिव